

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विधि-01-106/2017- 752(3)/स्वा0, पटना, दिनांक 19/9/2018
आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना(AB-PMJAY) कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस योजना के सुगम क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना में आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3(तीन) माह तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	डा० संजीव रंजन	चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा।
2.	डा० वरुण कुमार	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरगामा, अररिया।
3.	डा० मो० रिजवान	चिकित्सा पदाधिकारी, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।
4.	डा० सुरेन्द्र कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, उदवंतनगर, भोजपुर (राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, शिशु स्वास्थ्य के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति में प्रतिनियुक्त)।
5.	डा० हरि नारायण सिंह	अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
6.	डा० विजय कुमार सिन्हा	अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
7.	डा० अवध कुमार	अपर मुख्य मलेरिया पदाधिकारी एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट (सांख्यिकी)।
8.	डा० अमरेन्द्र कुमार चौधरी	अपर मुख्य मलेरिया पदाधिकारी एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट (सांख्यिकी)।

- उक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन स्थल से वेतनादि का भुगतान प्राप्त करेंगे।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी को अविलम्ब प्रतिनियुक्त स्थल पर कार्य करने हेतु विरमित कर देंगे।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

752(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 19/9/2018

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी संबंधित अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक-सह-कार्यक्रम पदाधिकारी भेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना/अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना/सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, छपरा/सिविल सर्जन, अररिया/सिविल सर्जन, पटना/सिविल सर्जन, भोजपुर/अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव